न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**
राजस्व वाद संख्या :- 33/2022

वादीया:-

श्रीमति सुगनीदेवी धर्मपत्नी मांगीलाल जाति सीरवी निवासी बेरा झालरा बिंजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. ओमप्रकाश पुत्र हुकमाराम जाति सीरवी
2. मांगीलाल पुत्र हुकमाराम जाति सीरवी
3. तीजीदेवी पत्नी हुकमाराम जाति सीरवी (फौत)
4. मिसरीदेवी पुत्री हुकमाराम जाति सीरवी निवासीगण बेरा अबजी का झालरा चक सं. 1 बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. पुरखाराम पुत्र रामाराम जाति सीरवी के कायम मुकामः-
   - 5/1 शेषाराम पुत्र पुरखाराम
   - 5/2 रतनलाल पुत्र पुरखाराम
   - 5/3 मदनलाल पुत्र पुरखाराम
   - 5/4 ओमप्रकाश पुत्र पुरखाराम
   - 5/5 रमादेवी पुत्री पुरखाराम
   - 5/6 सोनीदेवी पत्नी पुरखाराम जातियान सीरवी निवासीगण बेरा पालावतों का झालरा हर्ष देवल रोड बिलाडा तहसील बिलाडा, जोधपुर
6. करनाराम उर्फ कानाराम पुत्र लच्छाराम जाति सीरवी निवासी रोहितदासजी के मन्दिर के पास बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
7. मांगीलाल पुत्र राजूराम जाति सीरवी निवासी भटावाला रनिया के पास बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
8. खेताराम पुत्र नेनाराम जाति सीरवी निवासी भटावाला रनिया के पास बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
9. पेमाराम पुत्र धन्नाराम जाति सीरवी
10. लक्ष्मणराम पुत्र धन्नाराम जाति सीरवी
11. गोपाराम पुत्र धन्नाराम जाति सीरवी निवासीगण लेरचा बडेर का रनिया बेरा बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
12. हुकमाराम पुत्र दुदाराम जाति सीरवी
13. पुरखाराम पुत्र दुदाराम जाति सीरवी निवासीगण लेरचा बडेर का रनिंया बेरा बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
14. हणुताराम पुत्र तुलछाराम
15. अणदाराम पुत्र तुलछाराम जातियान सीरवी निवासीगण भटावाला रनिया के पास बिलाडा तहसील बिलाडा
16. घीसाराम पुत्र नवलाराम के कायम मुकामः-
   - 16/1 राकेश पुत्र हनुमानराम पौत्र घीसाराम जाति सीरवी निवासी बेरा भवरिया वार्ड सं. 24 बिंजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जोधपुर
   - 16/2 जीवण पुत्र हनुमानराम पौत्र घीसाराम जाति सीरवी निवासी बेरा भवरिया वार्ड सं. 24 बिंजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

16/3 किरण पुत्री हनुमानराम पौत्री घीसाराम पत्नी माधुराम निवासी बेरा उच्चल बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

16/4 चम्पादेवी पत्नी हनुमानराम पुत्रवधु घीसाराम जाति सीरवी निवासी बेरा भवरिया वार्ड सं. 24 बिंजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जोधपुर

16/5 हेमाराम पुत्र घीसाराम जाति सीरवी निवासी बेरा भवरिया वार्ड सं. 24 बिजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

16/6 अन्नाराम पुत्र घीसाराम जाति सीरवी निवासी बेरा भवरिया वार्ड सं. 24 बिंजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

16/7 रतनलाल पुत्र घीसाराम जाति सीरवी निवासी बेरा भवरिया वार्ड सं. 24 बिंजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

17. गोपाराम पुत्र नवलाराम के कायम मुकामः-

17/1 सुन्दरी पत्नी गोपाराम

17/2 जयराम पुत्र गोपाराम

17/3 दौलतराम पुत्र गोपाराम

17/4 पूजा पुत्री गणपतराम पौत्री गोपाराम(नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता जमना पत्नी गणपतराम)

17/5 सोनी पुत्री गणपतराम पौत्री गोपाराम(नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता जमना पत्नी गणपतराम)

17/6 नमिया पुत्री गणपतराम पौत्री गोपाराम(नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता जमना पत्नी गणपतराम)

17/7 जमना पत्नी गणपतराम पुत्रवधु गोपाराम सभी जातियान सीरवी निवासीगण बेरा भवरिया वार्ड सं. 24 बिंजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

18. (सिंगली पत्नी जोराराम- नाम तर्क किया गया)

19. (कालूराम पुत्र जोराराम- नाम तर्क किया गया)

20. भंवरलाल पुत्र जोराराम

21. रूपाराम पुत्र जोराराम

22. बाबूलाल पुत्र जोराराम के कायम मुकामः-

22/1 केलकी पत्नी बाबूलाल जाति सीरवी निवासी बेरा झालरा, वार्ड सं. 27 बिंजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

22/2 भगाराम पुत्र बाबूलाल जाति सीरवी निवासी बेरा झालरा वार्ड सं. 27 बिंजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

22/3 मुनकी पुत्री बाबूलाल पत्नी धर्माराम जाति सीरवी निवासी ग्राम बेडकलां तहसील जैतारण जिला पाली(नवसृजित जिला ब्यावर)

23. मांगीलाल पुत्र राजूराम जाति सीरवी निवासी चोयलों की अरट, रनिया के पास बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

24. कालूराम पुत्र जोराराम जाति सीरवी निवासी चौथजी का बास बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

25. पुनाराम पुत्र करनाराम जाति सीरवी निवासी भीयावतों का अरहट बिंजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

26. गीगाराम दतक पुत्र शिवदान जाति सीरवी निवासी भीयावतों का अरहट बिंजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

27. पोकरराम पुत्र लिखमाराम जाति सीरवी निवासी भीयावतों का अरहट, बिंजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर ... अधिकारी, बिलाडा

28. अणदाराम पुत्र लिखमाराम जाति सीरवी निवासी भीयावतों का अरहट, बिंजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
29. हारी पत्नी लिखमाराम जाति सीरवी निवासी भीयावतों का अरहट बिंजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर
31. अन्नाराम पुत्र घीसाराम जाति सीरवी निवासी बेरा भंवरिया बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88,188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः- वादी - श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं0 1 से 29 व 31 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 30- सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :-** 20/07/20

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, बंटवाडा, बेदखली, स्थायी निषेधाज्ञा का राजस्व वाद इस आशय का पेश किया गया कि मौजा बिलाडा चक सं. 3 की सरहद में वादी की पुश्तैनी मिल्कियत की 1/32 वां हिस्से तथा शेष प्रतिवादी सं. 5 से 29 का 31/32 वां हिस्सा की भूमि आयी हुई है जो भूमि खसरा नंबर 2512 रकबा 58 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 2514 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 2550 रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 2558 रकबा 14 बीघा स्थित है। उपरोक्त विवादित भूमि में वादी के कायम मुकाम मलाराम का 1/32 वां हिस्सा बनता है जो वादी दाकू कायम मुकाम मलाराम के नाना के देहान्त के बाद उक्त 1/32 वां हिस्सा की समस्त 117 बीघा 09 बिस्वा का एकमात्र उतराधिकारी है लच्छाराम के कोई जायन्दा पुत्र संतान नही थी अर्थात वादी के कोई भाई नहीं था वादी की माता का देहान्त वादी के पिता लच्छाराम से पहले हो गया था तथा वादी अपने पिता की एकमात्र संतान है वादी ने विवादग्रस्त भूमि पर काश्त आदि क़ी है। वादी के पिता का देहान्त सन् 2017 को हुआ था। उनके देहान्त का सारा खर्चा वादी ने अदा किया था। वादी के पिता लच्छाराम ने किसी को कभी गोद नहीं लिया न ही कोई गोदनामा लिखा गया है। विवादग्रस्त भूमि की एकमात्र उतराधिकारी वांदी है। विवादित भूमि का पटटा लच्छाराम के नाम से जारी किया हुआ है। हुकमाराम ने वादी के अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाया है। विवादग्रस्त भूमि को इम्प्रुमेन्ट कराने हेतु हल्का पटवारी के पास जमाबंदी की नकल लेने हेतु गयी तो राजस्व रेकर्ड में दिनांक 09.09.2006 को सबसे पहले जानकारी हुई। वादी प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पास दिनांक 10.09.2006 को भूमि अपने नाम कराने हेतु गयी तब प्रतिवादी ने वादी को धमकी दी कि इस भूमि पर नहीं आवे।

अन्त में निवेदन किया कि दावे के पद सं. 2 में वर्णित भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादी सं. 1 से 4 का नाम हटाया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 को कब्जा से बेदखल कर स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री फरमायी जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 30.12.2019 को अन्तिम डिक्री जारी कर राजस्व वाद सं. 17/2019 दाखुदेवी बनाम

सहायक कलक्टर ... बिलाडा

ओमप्रकाश खारिज किया गया तथा प्रतिवादी सं. 1, 4 का काउण्टर वाद स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर दाकू देवी के कायम मुकाम मल्लाराम पुत्र उम्मेदराम द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.12.2019 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में अपील की गई, जिसके अपील सं. 36/2020 अनवान दाकू देवी बनाम ओमप्रकाश वगैराह दर्ज की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश को खारिज कर दिया गया तथा अपील अपीलाण्टस मय मूलदावा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाकर राजस्व ग्राम बिलाडा चक सं. 3 स्थित आराजी खसरा सं. 2512 रकबा 58 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं. 2514 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं. 2550 रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा सं. 2558 रकबा 14 बीघा में लच्छाराम के 1/32वें हिस्से बाबत अपीलाण्टस को भी सहखातेदार घोषित किया जाता है, 1/2 हिस्से यानि कुल भूमि के 1/64वें हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त आराजियात का 1/32वें हिस्से का बकाया 1/2 हिस्सा अर्थात कुल भूमि का 1/64वां हुकमाराम के वारिसान के नाम रहेगा। लिस-पेण्डेसी के सिद्धान्त के अनुसार हकतर्कनामों के आधार पर रेस्पो. ओमप्रकाश एवं पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 29 सितम्बर 2011 के आधार पर क्रेता अन्नाराम पुत्र घीसाराम को वे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो कि उक्त दस्तावेजात के निष्पादनकर्ताओं को इस निर्णय के अनुसार प्रदान किये गये है।

साथ ही निर्देश दिये जाते है कि तहसीलदार बिलाडा अदालत हाजा द्वारा जारी उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में नियमानुसार मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में अपीलाण्टस के वादग्रस्त आराजियात के 1/32वें हिस्से के 1/2 बाबत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करें। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव अपने समक्ष पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव बाबत उभयपक्षकारान की सुनवाई के बाद विधिवत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए अंतिम डिक्री जारी की जाकर अपीलाण्टस के पक्ष में उन्हें प्राप्य भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञा प्रसारित की जावें। उक्त आदेश की पालना में न्यायालय हाजा द्वारा पत्रांक 623 दिनांक 6.10.2022 को तहसीलदार बिलाडा को तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	वादी सुगनादेवी पत्नी मांगीलाल हिस्सा 2969/3711 जाति खारडिया(सीरवी) सा. देह खातेदार प्रतिवादी सं. 1 मांगीलाल पुत्र हुकमाराम हिस्सा 742/3711 जाति खारडिया(सीरवी) सा.देह खातेदार	2550	.3711
	कुल योग	1	.3711
	प्रतिवादी- अणदाराम पुत्र तुलछाराम 3564/186323, अनाराम पुत्र घीसाराम 2227/186323, उरजाराम पुत्र खीयाराम 989/186323, ओमप्रकाश पुत्र लच्छाराम 1486/186323, खेताराम पुत्र नेनाराम 49488/186323 रहन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा बिलाडा, खुमाराम पुत्र	2550 2512 2514 2550 2558	1.4159 9.5058 2.5564 2.8890 2.2652

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा

न्यायालय सहायक कलेक्टर बिलाडा

	दुदाराम 1486/186323, गीगाराम पुत्र हुक्माराम 5938/186323, गोपाराम पुत्र धनाराम 990/186323, गोपाराम पुत्र नवलाराम 8908/186323, घीसाराम पुत्र नवलाराम 2970/186323, चम्पादेवी पत्नी माधवप्रकाश 1113/186323, चौथाराम पुत्र मंगाराम 494/186323, जबरसिंह पुत्र नारायणराम 7918/186323, जोगाराम पुत्र पुरखाराम 990/186323, डायाराम पुत्र चैनाराम 1484/186323, तेजाराम पुत्र नारायणराम 7918/186323 रहन–स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बिलाडा, तेजाराम चौधरी पुत्र शेषाराम 1131/186323, ताराराम पुत्र मांगीलाल 4454/186323, देदाराम पुत्र बेलाराम 496/186323, दरियाव पत्नी रूपाराम 1484/186323, देवीराम पुत्र चैनाराम 1484/186323, दिनेश पुत्र माधवप्रकाश 1113/186323, धापुदेवी पुत्री नेनाराम 1980/186323, नरेश पुत्र माधव प्रकाश 1113/186323, पूनाराम पुत्र करनाराम 990/186323, पेमाराम पुत्र धनाराम 990/186323, पुरखाराम पुत्र दूदाराम 1485/186323, प्रेमप्रकाश पुत्र नारायणराम 7918/186323, पोकरराम पुत्र लिखमाराम 1980/186323, फुलीदेवी पुत्री तुलछाराम 3563/186323, बाबुलाल दोहित्रा नेनाराम 660/186323, भंवरलाल पुत्र जोराराम 1484/186323, भंवरीदेवी दोहित्रा नेनाराम 660/186323, भानीया पुत्र लच्छाराम 1485/186323, मंजु पुत्री माधवप्रकाश 1113/186323, मदनलाल पुत्र पुरखाराम 3393/186323, मीरादेवी पत्नी मांगीलाल 4454/186323, मोटाराम पुत्र खेताराम 990/186323, रतनलाल पुत्र पुरखाराम 3393/186323 रहन–भूमि विकास बैंक शाखा बिलाडा, रूपाराम पुत्र जोराराम 2970/186323, रमादेवी पुत्री पुरखाराम 3393/186323, राजेन्द्र पुत्र शेषाराम 1131/186323, राजेन्द्र कुम्हार पुत्र हीरालाल 990/186323, लक्ष्मणराम पुत्र धनाराम 990/186323, लक्ष्मीदेवी दोहित्री नेनाराम 660/186323, लीलादेवी पत्नी अणदाराम 1980/186323, श्यामादेवी पुत्री मांगीलाल 4454/186323, सुगनीदेवी पुत्री तुलछाराम 3563/186323, सुरेश चन्द्र पुत्र शेषाराम 1131/186323, सीतादेवी पुत्री तुलछाराम 3563/186323, सोनीदेवी पत्नी पुरखाराम 3393/186323, हनवन्तराम पुत्र तुलछाराम 3563/186323, हारीपत्नी लिखमाराम 1979/186323 जाति खारडिया(सीरवी) सा.देह खातेदार		
	कुल योग	5	18.6323

3	मांगीलाल पिता हुकमाराम जाति सीरवी	4406 4423 4458 4475	0.0334 0.0284 0.0425 0.0445
	कुल योग	4	0.1488

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा दिनांक 25.04.2025 के अनुसार बंट में रखी गयी। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर वादी व प्रतिवादी सं. 2 द्वारा हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान की गई। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 25.04.2025 के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढ़ा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 20/05/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी :- **सुगनीदेवी** बनाम प्रतिवादीगण **ओमप्रकाश वगैराह**

दावा अन्तर्गत धारा 53,88, 188 आर.टी. एक्ट
राजस्व वाद संख्या :- 33/2022

दिनांक :- 20/05/25

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 29 व 31 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही, तथा प्रतिवादी संख्या 30 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —
खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह -सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20/5/25 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा